रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

84

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 119] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 12, 2004/आषाढ़ 21, 1926
No. 119] NEW DELHI, MONDAY, JULY 12, 2004/ASADHA 21, 1926

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2004

फा. सं. एपीईडीए/एसईसी/जीईएन/30.— कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1986 का 2) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण विनियम, 1999 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) विनियम, 2004 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण विनियम, 1999 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है), विनियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

   " केन्द्रीय सरकार की अधिवेशन बुलाने की शक्ति :- विनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार किसी भी समय प्राधिकरण के अधिवेशन बुला सकेगी।"

3. उक्त विनियम के विनियम 7 के उप-विनियम (1) में, " कम से कम आठ सदस्यों " शब्दों के स्थान पर " कम से कम दस सदस्यों " शब्द रखे जाएंगे।

4. उक्त विनियम के विनियम 10 के उप-विनियम (2) में, " द्वितीय या निर्णायक मत होगा " शब्दों के स्थान पर " निर्णायक मत होगा " शब्द रखे जाएंगे।

5. उक्त विनियम के विनियम 11 के उप-विनियम (2) में, " प्रभावी और बाध्यकर होगा " शब्दों के स्थान पर " प्रभावी और बाध्यकर होगा " शब्द रखे जाएंगे ।

6. उक्त विनियम के विनियम 15 के उप-विनियम (2) के उप-पैरा में, " प्रत्येक समिति का प्रत्येक विनिश्चय जो नीतिगत प्रकृति का है " शब्दों के स्थान पर " प्रत्येक समिति का प्रत्येक विनिश्चय जो नीतिगत प्रकृति का है, अर्थात् जो ऐसा विनिश्चय है जिसका प्राधिकरण के कृत्यों पर स्थायी प्रभाव है या प्राधिकरण की आवर्ती वित्तीय विवक्षा है " शब्द रखे जाएंगे ।

7. उक्त विनियमों के विनियम 26 के उप-विनियम (2) में, " द्वितीय या निर्णायक मत होगा " शब्दों के स्थान पर "निर्णायक मत होगा" शब्द रखे जाएंगे ।

8. उक्त विनियमों के विनियम 28 के उप-विनियम (9) के खण्ड (च) में, " मूल मासिक पारिश्रमिक वाली" शब्दों के स्थान पर "मासिक पारिश्रमिक वाली" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं० 7/1/2003-ईपी (कृषि-IV)]

के. एस. मनि, अध्यक्ष

[विज्ञापन/III/IV/166/04-असाधा.]

टिप्पण— मूल विनियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं0 7/1/2003- ईपी (कृषि.iv) तारीख 11 अगस्त, 1999 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(AGRICULTURAL AND PROCESSED FOOD PRODUCT EXPORTS DEVELOPMENT AUTHORITY)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2004

F. No. APEDA/SEC/GEN/30.— In exercise of the powers conferred by section 33 of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985 (2 of 1986), the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Regulations, 1999, namely :-

1. (1) These regulations may be called the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (Amendment) Regulations, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.